

# RAILWAY SERVANTS (PASS) RULE, 1986

R K Mishra  
Sr.Instructor(P.Way)

# RAILWAY SERVANTS (PASS RULE),1986

## ➤ Short Title, Commencement and Application

- इन नियमों का संक्षिप्त नाम रेलसेवक (पास) नियम, 1986 है.
- ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे.  
(दिनांक 16.08.1986 को राजपत्र में प्रकाशित)
- ये रेलवे बोर्ड के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सभी रेल सेवकों पर लागू होंगे किन्तु निम्नलिखित पर लागू नहीं होंगे-
- APPRENTICES UNDER APPRENTICES ACT
- CASUAL OR DAILY WAGES LABUR

- रेल विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी साधारण या विशेष आदेश द्वारा इन नियमों के अधीन पास या सुविधा टिकट आदेश की सुविधा से अपवर्जित है.

### ➤ परिवार (Family)

- रेल सेवक की पत्नी या पति चाहे वह कमाते हों या नहीं.
- पुत्र जो इक्कीस वर्ष से कम आयु का हो तथा रेलसेवक पर पूर्णतः आश्रित हो.

- इक्कीस वर्ष से अधिक आयु का पुत्र
  - जो किसी मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थान का छात्र है.
  - बिना किसी वृत्तिका या छात्रवृत्ति के Research Scholar हो
  - किसी चार्टर्ड एकाउन्टेंट के अधीन Articled Clerk का कार्य कर रहा हो
  - रेलवे डॉक्टर के समुचित प्रमाण पत्र के आधार पर अशक्त हो
- किसी भी आयु की अविवाहित पुत्री चाहे वह कमाती हो या नहीं
- विधवा पुत्री जो रेलसेवक पर आश्रित हो
- कानूनी रूप से तलाक प्राप्त पुत्री जो रेलसेवक पर आश्रित हो
- सौतेले पुत्र/पुत्री आग्रह पर सुविधा पास में सम्मिलित हो सकते हैं.

## ➤ आश्रित नातेदार (Dependent Relatives)

- किसी ऐसे रेलसेवक के सम्बन्ध में जिसके पिता जीवित नहीं हैं, निम्न लिखित आश्रित रिश्तेदार होंगे –
- माता, तलाक प्राप्त माता भी
- अविवाहित बहन
- विधवा बहन
- तलाक प्राप्त बहन
- इक्कीस वर्ष से अनधिक आय का भाई/सौतेला भाई, परन्तु तब जब वह रेलसेवक के साथ रहता हो और उसपर पूर्णतः आश्रित हो
- किसी भी आय का अशक्त भाई
- इक्कीस वर्ष से अधिक आय का भाई जो किसी मान्यता प्राप्त संस्थान का छात्र हो

- किसी व्यक्ति को आश्रित तभी माना जायेगा जब सभी स्रोतों से उसकी आय, जिसमें पेंशन तथा मंहगाई राहत शामिल है, रेलसेवक के वेतन के 15% या 9000/- तथा उसपर प्राप्त मंहगाई राहत, जो भी अधिक हो,से अधिक न हो.
- **दत्तक संतान (Adopted Child)** से ऐसी संतान का अभिप्राय है जिसके गोद लेने के सम्बन्ध में संतोषजनक प्रमाण हो भले ही कर्मचारी पर लागू *pesonal law* में ऐसा स्वीकार्य हो या नहीं.

- **परिचर (Attendant)** से ऐसे व्यक्ति का अभिप्राय है जो किसी रेलसेवक की वैयक्तिक सेवा में अनन्य रूप से नियोजित है。(A person exclusively employed on salary in the personal service of a railway servant.)
- **संरक्षक (GUARDIAN)** शब्द का आवश्यक रूप से उसके विधिक अर्थ में लिए जाने की आवश्यकता नहीं है, इसका अर्थ कोई वयस्क आश्रित नातेदार या परिवार का कोई वयस्क सदस्य, कोई वैतनिक नर्स, संरक्षिका या परिचर हो सकता है. जब इनमें से कोई उपलब्ध न हो तब नियमों के अधीन स्वीकार्य किसी संरक्षक को महाप्रबंधक के विवेक पर पास दिया जा सकेगा.

- **पास (PASS)** से रेल मंत्रालय या किसी रेल प्रशासन द्वारा किसी व्यक्ति को दिया गया प्राधिकार अभिप्रेत है जिसके द्वारा उस व्यक्ति को रेल द्वारा निःशुल्क यात्रा करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।
- **सविधा टिकट आदेश (P T O)** किसी रेलसेवक के पक्ष में जारी किया गया ऐसा रेल प्राधिकार है जो सामान्य किराए के एक तिहाई के भुगतान पर यात्री टिकट में बदला जा सकता है।
- **रेलसेवक (Railway Servant)** वह है जो रेलवे बोर्ड के नियंत्रण के अधीन किसी सेवा का सदस्य है या कोई पद धारण करता है, इसमें वह व्यक्ति भी सम्मिलित है जो रेलवे बोर्ड में कोई पद धारण करता है।



- **सेट (SET)** का अभिप्राय है एक बहिर्यात्रा (Outward Journey) और वापसी यात्रा (Return Journey) का एक पास या सुविधा टिकट आदेश
- **अर्ध सेट (HALF SET)** का अभिप्राय है एक स्टेशन से किसी अन्य स्टेशन के लिए जारी किया गया कोड़ पास या सुविधा टिकट आदेश
- **'Year'** means a Calendar Year

# **KINDS OF PASSES**

- **Duty Pass**
- **Privilege Pass**
- **School Pass**
- **Post Retirement Complementary Pass**
- **Widow Pass**
- **Residential Card Pass**
- **Special Pass**

# FORM OF PASSES

- Metal Pass  
Gold/Silver/Bronze
- Card Pass
- Cheque Pass
- Electronic Pass

- **DUTY PASS** - रेलसेवक को ड्यूटी पर यात्रा करने के लिए ड्यूटी पास जारी किया जाता है. ये मेटल पास, कार्ड पास, चेक पास या इलेक्ट्रॉनिक पास के रूप में हो सकते हैं.
- **NON GAZETTED CADRE**

•PLPM	TYPE OF PASS
L-6 & Above	First Class Pass
L-2 to L-5	Second Class 'A' Pass
L-1	Second Class/Second Sleeper Class

STATUS	PLPM	TYPE OF PASS
<b>GAZETTED CADRE</b>		
C R B, MEMBER, FC	17	GOLD PASS
DG & GM (Apex Scale)		
CCRS		
GMs & Other Equivalent Officers	16	
HAG Officers including NF-HAG	15	Silver Pass
SAG Officers including NF-HAG	14	
SG Officers	13	Bronze Pass/First Class 'A' Pass (with 1-AC authority)
JAG Officers	12	
Other Group A, B Officers	11 to 8	Bronze Pass/First Class 'A' Pass

# PRIVILEGE PASS

- सुविधा पास तथा P T O ग्रुप ए तथा बी राजपत्रित अधिकारियों को
- FIRST CLASS 'A' पास तथा पी टी ओ
- वर्ष में 6 सेट पास तथा 4 सेट पी टी ओ
- AC क्लास में बिना किसी अतिरिक्त चार्ज के यात्रा कर सकते हैं.
- अपनी पात्रता के अनुसार 1-AC में यात्रा कर सकते हैं या किराये के अंतर का 1/3 भुगतान कर यात्रा कर सकते हैं.
- Luggage ADULT=140 Kg, Child=70 Kg
- Attendant in Sleeper Class/Second Sleeper Class

## NON GAZETTED

	STATUS	PLPM	CLASS OF PASS & PTO	NO.ADMISSIBLE IN CALENDAR YEAR	
				PASS	PTO
<b>NON GAZETTED</b>	<b>CADRE</b>	L-6 AND ABOVE	FIRST CLASS	One set upto the end of 5 <sup>th</sup> year of Railway Service and 03 sets thereafter	04 sets
		L-5	SECOND CLASS 'A'		
		L-4 to L-1	SECOND/SLEEPER CLASS (one set second class 'A' in a year)		

# NON GAZETTED CADRE

- प्रथम श्रेणी पासधारी 1-AC क्लास को छोड़कर अन्य किसी भी श्रेणी में यात्रा के लिए अधिकृत हैं.
- AC-I तथा AC-II के किराये का अंतर भुगतान करके AC-I में यात्रा कर सकते हैं.
- स्लीपर/सेकंड क्लास में एक परिचर ले जा सकते हैं.
- लगेज वयस्क(एडल्ट)=70 Kg CHILD=35 Kg



# NON GAZETTED CADRE

- II CLASS'A' पास धारक AC-III में यात्रा के लिए अधिकृत हैं.
- लगेज ADULT=50 Kg      चाइल्ड=25 Kg
- II CLASS/SECOND SLEEPER CLASS पास धारी SECOND CLASS/SECOND SLEEPER CLASS में यात्रा के लिए अधिकृत हैं.
- लगेज ADULT=50 Kg      चाइल्ड=25 Kg

# NON GAZETTED CADRE, BIRTH/SEAT ENTITLEMENT

PLPM	CLASS OF PASS	MAIL/EXPRESS TRAINS			
		1-AC	2-AC	3-AC	SL/2S
6 and above	First Class	RE-V	AEM	AEM	AEM
5	Second Class A	NE	RE-V	AEM	AEM
4 to 1	Second/Sleepeer Class	NE	NE	RE-V	AEM
Upgraded pass for serving employees in PLPM 4,3,2,1		NE	NE	AEM	AEM

NE= NOT ENTITLED AEM=ALL ELIGIBLE MEMBER

RE-V= ON FULL PAYMENT OF DIFFERENCE OF FARE BETWEEN INTITLED CLASS AND HIGHER CLASS

# NON –GAZETTED CADRE, BIRTH SEAT ENTITLEMENT

PLPM	CLASS OF PASS	RAHDHANI, DURANTO TYPE TRAINS					SHATABDI TYPE TRAINS	
		1-AC	2-AC	3-AC	SL	2 S	EC	CC
6 and above	First Class	NE	1	2	AEM	AEM	NE	2
5	Second Class 'A'	NE	NE	NE	4	4	NE	NE
4 to 1	Second/ Sleeper Class	NE	NE	NE	NE	4	NE	NE
Upgraded pass for serving employees in PLPM 4,3,2,1		NE	NE	NE	4	4	NE	NE

# PTO

- अधिकृत श्रेणी या Lower Class के सामान्य किराये के 1/3 का भुगतान करके यात्रा के लिए अधिकृत.
- अधिकृत श्रेणी तथा अधिकृत श्रेणी से उच्चतर श्रेणी (Higher than the entitled Class) के किराए का अंतर जमा करके उच्चतर श्रेणी में यात्रा कर सकते हैं.
- सामान्य टिकट धारक के लिए लागू नियमों के अनुसार फ्री लगेज ले जा सकते हैं.

# COLOR OF PASSES

- First Class 'A' White
- First Class Green
- Second Class 'A' YELLOW
- SECOND/SLEEPER CLASS PINK

# PRIVILEGE PASS & PTO

- एक सेट या आधा सेट पास/PTO एडवांस रिजर्वेशन पीरियड से एक महीने अधिक की अवधि के लिए किन्तु यदि Advance Reservation Period चार माह से कम हो तो न्यूनतम चार माह के लिए वैध होगा.
- स्कूल प्रमाणपत्र साल में एक बार ACADEMIC SESSION के प्रारंभ में जमा किया जाना चाहिए.
- यदि स्कूल प्रमाण पत्र जमा करने की प्रत्याशा में पास जारी किया जाता है तो पास जारी होने की तिथि के एक महीने के अन्दर प्रमाण पत्र जमा दिया जाना चाहिए.

- सविधा पास तथा पी टी ओ स्वयं कर्मचारी, परिवार, गोद लिए बच्चों तथा आश्रित रिश्तेदारों के लिए मान्य हैं चाहे रेल कर्मचारी उनके साथ जा रहा है या नहीं.
- पास जारी करने वाले प्राधिकारी को परिवार के सदस्यों तथा आश्रितों के बारे में कम से कम पांच साल में एक बार अवश्य अवगत कराया जाना चाहिए.
- पास तथा पी टी ओ में दो से अधिक आश्रित सम्मिलित नहीं हो सकते हैं.
- आश्रित को सम्मिलित किए जाने की दशा में पास में सदस्यों की संख्या पांच से अधिक नहीं हो सकती है. (परिचर को छोड़कर)
- यदि पास तथा पीटीओ में केवल परिवार के सदस्य सम्मिलित हैं तो उपरोक्त लागू नहीं होता है.

- राजधानी/शताब्दी ट्रेनों में सुविधा निर्धारित कोटे के अनुसार मिलेगी.
- रास्ते में किसी भी स्टेशन की ब्रेक जर्नी मानी है.अपरिहार्य परिस्थितियों में TC/SM द्वारा ब्रेक जर्नी एंडोर्स की जा सकती है.
- दो स्थानों के बीच लम्बा मार्ग, सीधे मार्ग से 15% से अधिक नहीं होना चाहिए.
- यदि लम्बे मार्ग से जल्दी यात्रा पूरी होती है तो तो दूरी पर विचार किये बिना लम्बे मार्ग से यात्रा की जा सकती है.
- स्वीकृत भर सीमा के अन्दर सुविधा पास पर स्कूटर/मोटर सायकिल ले जाई जा सकती है.



- यदि पति,पत्नी दोनों दोनों रेल कर्मचारी हैं तो दोनों एक दूसरे को अपने पास में सम्मिलित कर सकते हैं तथा बच्चों को भी सम्मिलित कर सकते हैं.
- अगले साल के खाते से एक सेट पास तथा पीटीओ Advance Reservation Period से एक महीने अधिक पहले ले सकते हैं.
- APPRENTICES के परिवार के सदस्यों तथा आश्रितों के लिए पास नहीं मिलेगा.
- अपरेंटिस पीरिएड को पास की सुविधा के लिए Qualifying Service माना जायेगा.

# SCHOOL PASS

- रेलसेवक पर आश्रित प्रत्येक छात्र पत्र/पुत्री को स्कूल पास जारी किया जायेगा जिसके लिए उसे मान्यता प्राप्त संस्थान से एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जहाँ वह पढ़ते हैं.
- यह संस्थान रेल कर्मचारी के मुख्यालय से बाहर होना चाहिए.
- प्रमाण पत्र में यह इंगित होना चाहिए कि पत्र/पुत्री उस मान्यता प्राप्त संस्थान का छात्र है.
- रेल कर्मचारी के अनुरोध पर स्कूल पास को चार माह पूर्व जारी किया जा सकता है.

- स्कूल पासों पर उचित यात्रा अवधि पास जारी करने वाले अधिकारी द्वारा निश्चित की जायेगी जो इस बात पर निर्भर होगी कि दूरी कितनी है, गार्जियन सम्मिलित है या छात्र अकेले यात्रा करेगा, फुल सेट है या हाफु सेट है, कितनी अवधि तक रुकना है, संस्थान कहाँ पर स्थित है, आदि.
- यदि माता, पिता दोनों रेल सेवक हैं तो किसी एक ही खाते से स्कूल पास जारी होगा.
- 18 वर्ष से कम लड़कों के मामले तथा किसी भी उम्र की लड़की के मामले में पास में गार्जियन या माता पिता को सम्मिलित किया जा सकता है.
- 18 साल या अधिक उम्र के दिव्यांग छात्र के मामले में भी उपरोक्त सविधा दी जाएगी बशर्ते DMO द्वारा मेडिकल प्रमाण पत्र जारी हो की वह अकेले यात्रा नहीं कर सकता है

- 3 सेट पास या 6 हाफ सेट पास एक वर्ष में जारी होंगे.
- ग्रुप A, B                      First Class 'A'
- L-6 and above              First Class
- L-5                                II Class 'A'
- L-1 to L-4                    II Class / Sleeper Class
- ओक ग्रोव स्कूल झारीपानी के छात्रों को पात्र न होने पर भी प्रथम श्रेणी पास जारी होगा.
- अधिकृत छुट्टी (जो तीन दिन से कम की न हो) तथा Unforeseen परिस्थितियों के कारण स्कूल के बंद होने की स्थिति में स्कूल से घर आने तथा वापस स्कूल जाने के लिए पास जारी होगा.

- मान्यता प्राप्त स्कूल में प्रवेश के लिए तथा वापस कर्मचारी के मुख्यालय आने के लिए, प्रवेश फार्म जमा करने के लिए, प्रवेश परीक्षा देने के लिए .
- गार्जियन या माता, पिता को स्कूल से बच्चे को लाने के लिए या बच्चे को स्कूल में छोड़कर वापस आने के लिए अलग से पास जारी होगा किन्तु वह हाफ सेट में ही गिना जायेगा.
- रेल कर्मचारी को पास रोक की सजा तथा सस्पेंशन की अवधि में भी स्कूल पास जारी होगा .

# POST RETIREMENT COMPLIMENTARI PASS

- सेवोत्तर मानार्थ पास 20 वर्ष या अधिक की सेवा पर मिलेगा.
- दूसरी सेवा से आये कर्मचारियों के लिए पूर्व की सेवा का आधा इस सुविधा के लिए जोड़ा जायेगा.
- पासों की संख्या
- ग्रुप ए तथा बी                      3 सेट पास
- ग्रुप सी                                      2 सेट पास
- ग्रुप डी                                        1 सेट पास
- पात्र सदस्य -स्वयं,पत्नी/पति,बच्चे,कानूनी तलाकप्राप्त पुत्री,विधवा पुत्री, विधवा माँ
- वैधता- सुविधा पास की तरह

- श्रेणी-जिस श्रेणी के लिए सेवा के समय पात्र था.
- पास जारी होने का स्थान- कर्मचारी की सुविधा के अनुसार किसी भी कार्यालय से
- प्रथम श्रेणी तथा प्रथम ए श्रेणी सेवोत्तर पास धारकों को परिचर के बदले companion की सुविधा

# WIDOW PASS

- सेवोत्तर मानार्थ पास की आधी संख्या या सेवा के दौरान मृत्यु के मामले में मृत्यु की तिथि को सेवा निवृत्ति की मानने पर जितने का हकदार होता बशर्ते कि ग्रुप डी की विधवा को प्रत्येक एकांतर वर्ष में एक पास अवश्य मिलेगा.
- रेलसेवक की ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने पर विधवा को एकांतर वर्ष में न्यूनतम एक सेट पास मिलेगा भले ही रेलसेवक की उम्र कुछ भी हो
- एक से अधिक विधवा की स्थिति में बारी बारी से देय होगा.
- पास की श्रेणी वही होगी जिसके लिए कर्मचारी हकदार था.



- पात्र सदस्य
- आश्रित नातेदार शामिल नहीं किन्तु मृतक रेल सेवक की विधवा माँ को विधवा के परिवार के सदस्य के रूप में पास में शामिल किया जायेगा भले ही उसके पिता जीवित हों.
- विधवा को यह सुविधा नहीं मिलेगी यदि
  - वह अपने पुत्र के पास में सम्मिलित होती है.
  - स्वयं के रेलसेवक के रूप में पास प्राप्त करने पर
- पुनः विवाह करने पर विकल्प चुनने का अवसर मिलेगा

# RESIDENTIAL CARD PASS

- A RESIDENTIAL CARD PASS MAY BE ISSUED A RAILWAY SERVANT FOR PERFORMING RAIL JOURNEY FROM THE PLACE OF RESIDENCE TO THE PLACE OF HIS WORK.

# SPECIAL PASS

- A special pass may be issued to Railway Servants, family members or dependents relatives as the case may be on
- Medical grounds
- Sports Accounts
- For attending children camp or scouts camp
- Cultural functions
- On any other occasion

THANKS